यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल** के माह **04/2014** से माह **01/2021** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **27.02.2021** से **06.03.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री एस.के. सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **08.06.2014** से **18.06.2014** तक श्री बजरंग सिंह चन्देल, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2012** से **03/2014** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2014** से **01/2021** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि `लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	3.43	1294.73	86.12	89.13	0.42	1119.06	1142.96	1270.83
2015-16	0.42	1270.83	77.87	75.89	2.40	1290.10	956.70	1604.23
2016-17	2.40	1604.23	57.82	55.77	4.45	840.99	1140.64	1304.58
2017-18	4.45	1304.58	70.43	68.18	6.70	772.74	1019.95	1057.37
2018-19	6.70	1057.37	91.95	94.81	3.84	967.43	852.45	1172.35
2019-20	3.84	1172.35	69.33	68.12	5.05	1091.51	935.00	1328.87
2020-21 (Upto 01/2021)	5.05	1328.87	165.98	169.17	1.86	1256.32	922.91	1662.28

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	**2014-15 to 2020-21 (Upto 01/2021)**		
	प्रारंभिक अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**
शून्य			

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा ग्राहक विभाग के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत हैः- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष), उत्तराखण्ड शासन →प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→ मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→महाप्रबन्धक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून→परियोजना प्रबन्धक।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा संपादित कराये गये निक्षेप कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2017, 03/2015, 01/2021** एवं **11/2019 (व्यय)** तथा माह **02/2019, 10/2016, 11/2019** एवं **11/2020 (आय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई द्वारा संपादित कराये गये निक्षेप कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : शासकीय धन रुपये 36.48 लाख का अवरुद्ध रहना।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-VI के बिन्दु 519(b) के अनुसार **"If it is a deposit works, steps should be taken promptly to surrender the unexpended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer."**

वित्तीय हस्त-पुस्तिका के उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार किसी कार्यदायी संस्था द्वारा निक्षेप कार्यों से संबन्धित अवशेष धनराशि को बिना विलम्ब किए शासन/ ग्राहक विभाग को समर्पित कर देनी चाहिए।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी की लेखापरीक्षा (माह-01/2021) के दौरान जाँच में पाया गया था कि इकाई द्वारा विभिन्न(अनुलग्नक-I) निक्षेप कार्यों को या तो पूर्ण कर ग्राहक विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका था या फिर किसी विवाद के कारण प्रारम्भ ही नहीं किया जा सका था परंतु उक्त कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक भी ग्राहक विभाग को समर्पित नहीं किया गया था। इकाई द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत अवशेष धनराशियों को ग्राहक विभाग/ शासन को समर्पित न किए जाने के कारण रुपये 36.48 लाख की शासकीय धनराशि विगत एक से छह वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि उपरोक्त संबन्धित कार्यों में से छह[1] कार्यों पर हस्तांतरण के पश्चात लेखाबन्दी की कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही लेखाबन्दी पूर्ण कर अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को समर्पित कर दी जाएगी। विवादित कार्य[2] के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया था कि वर्तमान में विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद सुलझने की स्थिति में शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा विवाद न सुलझने की स्थिति में ग्राहक विभाग को धनराशि वापस कर दी जाएगी। उपरोक्त कार्यों के संबंध में इकाई का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। उपरोक्त में से शेष कार्य[3] के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त कार्य पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी थी तथा द्वितीय चरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में धनराशि वापस नहीं की गयी है। उक्त कार्य के संबंध में इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबन्धित कार्य को पूर्ण हुए लगभग छह वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका था तथा इकाई द्वारा अगले चरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में शासकीय धनराशि को छह वर्ष से अधिक समय से अवरुद्ध रखा जाना वित्तीय नियमों के विरुद्ध था।

अत: इकाई द्वारा शासकीय धनराशि रुपये 36.48 लाख को विगत एक से छह वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] क्रम संख्या 1–2 एवं 5-8 पर वर्णित कार्य।
[2] ग्राम उरेगी में स्वतंत्रता सेनानी हेतु स्मृति द्वार का निर्माण कार्य
[3] पौड़ी स्थित पुराने जेल भवन में संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य

अनुलग्नक - I

क्रम सं.	कार्य का नाम	ग्राहक विभाग	कार्य पूर्ण करने की तिथि	स्थिति	अवशेष धनराशि
1	राज. आयुर्वेद चिकित्सालय कुणजौली के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य	आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग	03/19	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	1.759
2	राज. आयुर्वेद चिकित्सालय टकोलीखाल के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य	आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग	06/19	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	6.667
3	ग्राम उरेगी में स्वतंत्रता सेनानी हेतु स्मृति द्वार का निर्माण कार्य	संस्कृति विभाग	-	स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर विवाद	6.00
4	पौड़ी स्थित पुराने जेल भवन में संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य	संस्कृति विभाग	12/2014	पुनरीक्षित आगणन ग्राहक विभाग को प्रेषित	5.663
5	राजकीय इंटर कॉलेज, कोटद्वार का भवन मरम्मत कार्य	शिक्षा विभाग	12/2019	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	1.485
6	राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, कोटद्वार का भवन मरम्मत कार्य	शिक्षा विभाग	12/2019	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	1.818
7	बेस चिकित्सालय, श्रीनगर में मदर एवं चाइल्ड केयर यूनिट का निर्माण कार्य	केंद्र पोषित	03/2020	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	6.135
8	वन्यजीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का जीर्णोद्धार कार्य	केंद्र पोषित	07/2019	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	6.948
				कुल धनराशि	36.475

भाग – II (ब)

प्रस्तर-2: निष्फल व्यय रुपये 16.78 लाख।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत परिवार कल्याण उपकेन्द्र, जयगाँव में भवन निर्माण कार्य हेतु रुपये 38.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा माह अप्रैल 2017 में प्रदान की गयी थी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी की लेखापरीक्षा (माह – 01/2021) में पाया गया था कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु इकाई द्वारा ठेकेदार श्री ज़ाहिद अहमद के साथ रुपये 29.74 लाख का अनुबंध संख्या – 14/परि. प्रब./2017-18 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 15.07.2017 एवं 14.01.2018 थी। कार्यालय के अभिलेखोनुसार, उपरोक्त कार्य पर लेखापरीक्षा किए जाने तक रूपये 16.78 लाख के व्यय उपरान्त केवल छत तक के कार्य पूर्ण कर 75 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही प्राप्त की जा सकी थी तथा भवन का निर्माण कार्य माह-01/2018 से धनाभाव के कारण बंद था। रूपये 16.78 लाख की लागत से निर्मित भवन अपूर्ण होने के कारण उपयोग के योग्य नहीं था जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रूपये 16.78 लाख निष्फल सिद्ध हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शेष धनराशि अवमुक्त नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध था। यह भी की इकाई द्वारा इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में शेष धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु आश्वासित किया गया है। इकाई का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: इकाई द्वारा अपूर्ण भवन के निर्माण पर किए गए व्यय रूपये 16.78 लाख के निष्फल होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- II (ब)</u>

प्रस्तर: 3 – अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिक को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹ 61219.72 का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, पौडी गढ़वाल ।

में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिक के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिक के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिक को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिक को प्रति माह 4% अंशदान कम मिल रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल एक कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखा परीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिक को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (11/2020) **कुल धनराशि 61,219.72 /- का कम भुगतान किया गया ।** <u>(एक कार्मिक के कम भुगतान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 1)</u>

उक्त सभी कार्मिक के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि प्रधान कार्यालय से शासनादेश प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: <u>अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिक को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम भुगतान की गई</u> **धनराशि रु 61,219.72/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II(ब)

प्रस्तर-4: विभागीय लापरवाही के कारण कार्य सम्पादन में चार वर्षों से अधिक का विलम्ब एवं अधोमानक कार्य सम्पादन।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र खिर्सू के अंतर्गत हेमवती नन्दन बहुगुणा बेस चिकित्सालय श्रीकोट, श्रीनगर में मदर एण्ड चाइल्ड केयर यूनिट के निर्माण हेतु रुपये 312.81 लाख की स्वीकृति मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी द्वारा दिनाँक – 24.01.2013 को प्रदान की गयी थी तथा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य को माह – 03/2015 तक पूर्ण किया जाना था।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी की लेखापरीक्षा (माह-01/2021) में पाया गया था कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा चार अनुबंधों[4] का गठन किया गया था जिनके अंतर्गत समस्त कार्य माह-07/2015 तक पूर्ण किए जाने थे। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि इकाई द्वारा उपरोक्त अनुबंधों के सापेक्ष सिविल कार्यों को निर्धारित समय से लगभग 32 माह पश्चात माह-03/2018 तक पूर्ण किया गया था। आगे जाँच में पाया गया था कि इकाई द्वारा कार्य का सम्पादन निम्न स्तर का कराया गया था जिसके कारण नवनिर्मित मदर एण्ड चाइल्ड केयर यूनिट में विभिन्न त्रुटियाँ/ समस्यायें[5] उत्पन्न हो रही थी तथा लेखापरीक्षा किए जाने तक भी उपरोक्त कार्य को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया था कि ग्राहक विभाग द्वारा कार्यस्थल उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्य के सम्पादन में देरी हुई थी। उक्त भवन के सिविल कार्य दिनाँक-31.03.2018 तक पूर्ण किए जा चुके है तथा विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड देहरादून से कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। कार्य सम्पादन में त्रुटियों के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया था कि समस्त त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है तथा संबन्धित विभाग से सहमति पत्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यदि इकाई द्वारा भवन का निर्माण कार्य मानकों के अनुसार निर्धारित समयांतर्गत पूर्ण किया गया होता तो लेखापरीक्षा किए जाने तक कार्य का हस्तांतरण ग्राहक विभाग को किया जा चुका होता। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि बीतने के लगभग छह वर्ष पश्चात भी

[4]

क्रम सं.	अनुबंध सं.	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
1	51/PM/2012-13	श्री अतेन्द्र व्यास	25.02.2013	24.08.2013	24.08.2013
2	16/RE/2013-14	मै. सेंको सिस्टम	25.02.2014	24.05.2014	24.05.2014
3	02/PM/2015-16	दीया हैल्थ केयर	25.04.2015	24.07.2015	31.12.2016
4	01/GM/2014-15	श्री पूर्णानन्द व्यास	01.07.2014	31.03.2015	30.03.2018

[5] गायनी वार्ड के पोस्ट ओपरेटिव वार्ड की भीतरी दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा था।मदर एण्ड चाइल्ड केयर वार्ड की दीवारों पर भी सीलन एवं दरारें पड़ रही थी।भवन की छत्त पर पानी की निकासी ठीक न होने के कारण पानी छत्त पर जमा हो रहा था।भवन के लगभग समस्त ड्रेनेज पाईप कम मोटाई के लगाये गए थे जिसके कारण बाथरूमों एवं Toilets में पानी भर रहा था।

कार्य का हस्तांतरण ग्राहक विभाग को न किया जाना शासकीय कार्यों के प्रति इकाई की उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अत: विभागीय लापरवाही के कारण कार्य सम्पादन में चार वर्षों से अधिक का विलम्ब एवं अधोमानक कार्य सम्पादन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या**	**STAN प्रस्तर संख्या**
25/2012-13	शून्य	01, 02	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः उपरोक्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इकाई के लेखा विभाग द्वारा रोकड़ बही, वाऊचरों एवं अन्य अभिलेखों का अच्छी तरह रख-रखाव किया गया है।

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. सुभाष चन्द्र	परियोजना प्रबन्धक	31.01.2011 से 03.11.2016
02.	ई. राजेश सिंह	परियोजना प्रबन्धक	04.11.2016 से 09.09.2018
03.	ई. कपिल सिंह	परियोजना प्रबन्धक	10.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/21 दिनांकित 08.03.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)